न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/66/2025	2025/158	23.01.2025	08.05.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. नाथी आश्रित फूलसिंह निवासी ग्राम सीरावास तहसील व जिला अलवर राज0।
2. जयसिंह पुत्र नाथी आश्रित फुल सिंह पत्नी श्री चिरंजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम नारेडा खुर्द माजरी कलां तहसील नीमराना जिला कोटपूतली—बहरोड राज0।

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—
01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —प्रार्थी अधिवक्ता
02—श्री आशीष खण्डेलवाल —अप्रार्थी अधिवक्ता

—:निर्णय:—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम सीरावास तहसील व जिला अलवर की आराजी हाल खसरा न0 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285 कुल किता 14 रकबा 6.35 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा न0 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285 कुल किता 14 रकबा 6.35 हैक्टेयर भूमि ग्राम सीरावास तहसील व जिला अलवर वर्ष 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिये आवंटन किया गया था।

अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत् पटवारी हल्का ढहलावास की रिपोर्ट दिनांक 23.11.2024 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि आवंटन वर्ष 1970 के बाद के अप्रार्थी को आराजी खसरा नंबर आराजी हाल खसरा

अति रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम
अलवर (राज0)

न0 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285 कुल किता 14 रकबा 6.35 हैक्टेयर भूमि ग्राम सीरावास का आवंटन किया गया था, को निरस्त फरमाया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

विद्वान अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि उपरोक्त प्रकरण में विवादित आराजीयात नाथी आश्रित फुल सिंह पत्नि स्व0 श्री चिरंजीलाल को अलोट की गई थी क्योंकि नाथी का पुत्र फुल सिंह भारतीय सेना में कार्यरत था दिनांक 01.09.1965 को भारत पाक युद्ध में शहीद हो गया था। जिसके पश्चात उपरोक्त आराजीयात फुल सिंह की मां अर्थात नाथी को अलोट की गई थी जिसने अपने जीवनकाल मे उपरोक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग किया तथा नाथी की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त आराजीयात में नाथी के वारिसान जयसिह यादव पुत्र, चमेली पुत्री, छाजूराम पुत्र उपरोक्त आराजीयात पर मालिक काबिज जायदाद हुये। जिनमे से छाजूराम लावल्द फौत हो गया तथा चमेली देवी भी फौत हो गई, जिसके पश्चात उपरोक्त आराजीयात पर जय सिंह व चमेली के वारिसान मालिक काबिज जायदाद हुये। उपरोक्त आराजीयात में अप्रार्थी सं. 2 जयसिंह का 1/2 हिस्सा है। चूंकि अप्रार्थी जयसिंह सरकारी सेवा में हैं तथा अप्रार्थी अलग अलग जिलो में अलग अलग जगह पदस्थापित रहा है जिस कारण अपनी उपरोक्त आराजीयात को अप्रार्थी जयसिंह द्वारा समय समय पर आधे बांटे में विभिन्न व्यक्तियो को दी गई थी तथा अपनी फसल प्राप्त करता रहा है।

चूंकि अप्रार्थी जयसिंह सरकारी सेवा मे था जिस कारण वह अलवर से जिले से बाहर पदस्थापित रहा है तथा जब भी अप्रार्थी की उपरोक्त आराजीयात का सर्वे किया जाता था तो अप्रार्थी द्वारा मिन व्यक्तियो को अपनी आराजीयात आधे बांटे पर दी गई थी उन व्यक्तियो द्वारा उपरोक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त पटवारी रिपोर्ट मौका मे बता दिया गया गया। जो कि पटवारी द्वारा गलत प्रकार से मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी। जो रिपोर्ट पटवारी द्वारा उन व्यक्तियो से मोटी रकम ऐंठकर मिन अप्रार्थी के शहीद भाई की आराजी को खुर्द बुर्द करने की नियत से तैयार की गई है जबकि उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से का मालिक अप्रार्थी जयसिंह है तथा 1/2 हिस्से के मालिक चमेली देवी के वारिसान हैं। जिस बाबत एक मुकदमा भी न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय, अलवर के समक्ष बअनुवान मुकदमा मंगल सिंह बनाम राज० सरकार वगैरा, मुकदमा संख्या 01/08/2024 का दावा पेश किया हुआ था। जिसका निर्णय सहायक कलेक्टर महोदय, अलवर द्वारा दिनांक 21.04.2025 को सादिर फरमाया जा चुका है। मुताबिक निर्णय नाथी आश्रित फुल सिंह पत्नि चिरंजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम नारेडा खुर्द माजरी कलां तहसील नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के वारिसान को हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर विरासत का इंतकाल दर्ज करने के आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदयए अलवर को सादिर फरमाये गये थे। जिस आदेश की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी तहसीलदार अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी नाथी के वारिसान के हक में इंतकाल खोला जाकर अपील खारिज किये जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक 01.05.2025 को प्रार्थी जयसिंह पुत्र नार्थी आश्रित फुल सिंह पत्नी श्री चिरंजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम नारेडा खुर्द माजरी कलां तहसील नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड राज0 द्वारा जरिये अधिवक्ता आशीष खण्डेलवाल एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त विवादित आराजीयात नाथी आश्रित फुल सिंह पत्नी स्व0 श्री चिरंजीलाल को अलोट की गई थी, क्योंकि नाथी का पुत्र फुल सिंह भारतीय सेना में कार्यरत था जो दिनांक 01.09.1965 को भारत पाक युद्ध में शहीद हो गया था, जिसके पश्चात उपरोक्त आराजीयात फुल सिंह की मां अर्थात् नाथी को अलोट की गई थी जिसने उपने

8/5/25
अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

जीवनकाल में उपरोक्त आराजीयात का उपयोग–उपभोग किया तथा नाथी की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात में नाथी के वारिसान जयसिंह यादव पुत्र, चमेली पुत्री, छाजूराम पुत्र उक्त आराजीयात पर मालिक काबिज जायदाद हुए जिनमें से छाजूराम लावल्द फौत हो गया तथा चमेली भी फौत हो गई जिसके पश्चात उपरोक्त आराजीयात पर जय सिंह व चमेली के वारिसान मालिक काबिज जायदाद हुए। उक्त आराजीयात में मिन प्रार्थी जयसिंह का 1/2 हिस्सा है। मिन प्रार्थी जयसिंह सरकारी सेवा में होने के कारण अलवर जिले से बाहर पदस्थापित रहा है तथा मिन प्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात को आधे बांटे पर दी गई थी। उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से का मालिक मिन प्रार्थी जयसिंह है तथा 1/2 हिस्से चमेली देवी है। प्रार्थी जयसिंह का उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा है तथा उचित जायज पक्षकार है जिसे उक्त अपील में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है, जबकि मिन प्रार्थी को उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से का काश्तकार होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया जाना न्यायोचित है। अतः निवेदन किया गया कि मिन प्रार्थी को उक्त अपील में पक्षकार मुकदमा बनाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी जयसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का उक्त आराजीयात में मालिकाना हक निहित होना साबित होता है। न्यायहित में प्रार्थी जयसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी जयसिंह पुत्र नाथी आश्रित फुल सिंह पत्नी श्री चिरंजीलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम नारेडा खुर्द माजरी कलां तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 को पक्षकार मुकदमा बनाया जाता है। प्रार्थी जयसिंह पुत्र नाथी आश्रित फुलसिंह को अप्रार्थी संख्या 2 के रूप में पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर निर्णय में अंकन किया जाता है।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया एवं विद्वान अभिभाषक की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि विवादित आराजीयात नाथी आश्रित फुल सिंह पत्नि स्व0 श्री चिरंजीलाल को अलोट की गई थी क्योंकि नाथी का पुत्र फुल सिंह भारतीय सेना में कार्यरत था जो दिनांक 01.09.1965 को भारत पाक युद्ध में शहीद हो गया था। जिसके पश्चात उपरोक्त आराजीयात फुल सिंह की मां अर्थात नाथी को अलोट की गई। जिसने अपने जीवनकाल मे उपरोक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग किया तथा नाथी की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त आराजीयात में नाथी के वारिसान जयसिह यादव पुत्र, चमेली पुत्री, छाजूराम पुत्र उपरोक्त आराजीयात पर मालिक काबिज जायदाद हुये। जिनमे से छाजूराम लावल्द फौत हो गया तथा चमेली देवी भी फौत हो गई, जिसके पश्चात उपरोक्त आराजीयात पर जय सिंह व चमेली के वारिसान मालिक काबिज जायदाद हुये। अप्रार्थी जयसिंह सरकारी सेवा मे था जिस कारण वह अलवर से जिले से बाहर पदस्थापित रहा है तथा जब भी अप्रार्थी की उपरोक्त आराजीयात का सर्वे किया जाता था तो अप्रार्थी द्वारा मिन व्यक्तियो को अपनी आराजीयात आधे बांटे पर दी गई थी उन व्यक्तियो द्वारा उपरोक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त पटवारी रिपोर्ट मौका मे बता दिया गया गया। जो कि पटवारी द्वारा गलत प्रकार से मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी। जो रिपोर्ट पटवारी द्वारा उन व्यक्तियो से मोटी रकम ऐंठकर मिन अप्रार्थी के शहीद भाई की आराजी को खुर्द बुर्द करने की नियत से तैयार की गई है जबकि उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से का मालिक अप्रार्थी जयसिंह है तथा 1/2 हिस्से के मालिक चमेली देवी के वारिसान हैं। जिस बाबत एक मुकदमा न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय, अलवर के समक्ष बअनुवान मुकदमा मंगल सिंह बनाम राज० सरकार वगैरा, मुकदमा संख्या 01/08/2024 का दावा पेश किया गया, जिसका निर्णय दिनांक 21.04.2025 को पारित कर मुताबिक निर्णय नाथी आश्रित फुल सिंह पत्नि

8/5/25

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

चिरंजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम नारेडा खुर्द माजरी कलां तहसील नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के वारिसान को हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर विरासत का इंतकाल दर्ज करने के आदेश जारी किये गये थे। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.2025 का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 271 रकबा 1.51 है0, 272 रकबा 0.50 है0, 273 रकबा 0.32 है0, 274 रकबा 0.08 है0, 275 रकबा 0.39 है0, 276 रकबा 0.04 है0, 277 रकबा 0.59 है0, 278 रकबा 0.32 है0, 279 रकबा 0.45 है0, 280 रकबा 0.25 है0, 282 रकबा 0.54 है0, 283 रकबा 0.76 है0, 284 रकबा 0.13 है, 285 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम सीरावास तहसील व जिला अलवर की आराजी अप्रार्थी नाथी आश्रित फूलसिंह पत्नी चिरंजीलाल की अलाटशुदा गैर खातेदारी की आराजी रही है। नाथी की मृत्यु पश्चात अप्रार्थी नाथी, नाथी आश्रित फूलसिंह पत्नी चिरंजीलाल के जायज वारिसान उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चले आ रहे हैं। चूंकि न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर द्वारा दिनांक 21.04.2025 को निर्णय पारित कर उक्त आराजी के विरासत का इंतकाल नाथी के वारिसान के हक में खोलने के आदेश पारित किये गये है, जो विधि के अनुसार न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) पोषणीय नहीं होने तथा सारहीन होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तहसीलदार अलवर को आदेशित किया जाता है कि उक्त आराजीयात के खातेदारी व विरासत का इंतकाल न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2025 के अनुसार अप्रार्थी नाथी आश्रित फुल सिंह के वारिसान के हक में दर्ज किये जाने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)